राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : प.17(1)/नविवि/अभियान/2021/ जयपुर, दिनांक 27 DEC 2021

आदेश

राज्य में प्रक्रियाधीन प्रशासन शहरो के संग अभियान–2021 के दौरान कार्यो की समीक्षा व बाधाओं को दूर करने व समय–समय पर मोनिटरिंग किये जाने हेतु राज्य के विभिन्न संभागो से समसंख्यक आदेश दिनांक 24.09.2021 को प्रेक्षक नियुक्त किये गये हैं। उक्त ओदश के क्रम में अजमेर संभाग के श्री भँवर सिंह चारण, आई.ए.एस. (से.नि.) (मों. 9413334499) को भी प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है। श्री चारण का मुख्यालय अजमेर होगा। श्री चारण अजमेर व नागोर जिले में प्रेक्षक का कार्य एवं श्री कृष्णावतार त्रिवेदी (मों. 9828011804) टोंक व भीलवाडा जिले में प्रेक्षक का कार्य देखेगें तथा श्री त्रिवेदी का मानदेय व अन्य सुविधायें नगर विकास न्यास, भीलवाडा द्वारा देय होगी।

1. श्री चारण का मानदेय रूपये 50,000/–प्रतिमाह होगा। श्री चारण को मानदेय, वाहन व अन्य सुविधा अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा वहन की जायेगी। प्रेक्षक द्वारा निम्नलिखित कार्य सम्पादित किये जायेगें :–
   - अभियान के दौरान किये जाने वाले कार्यो की सूची प्राप्त करेगें तथा इस संबंध में जारी सभी नियमों/आदेशों/परिपत्रों का अध्ययन करेगें।
   - ऑनलाईन पोर्टल www.shahar2021.rajasthan.gov.in पर की गई व्यवस्था के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करेगें तथा नगर निकायों द्वारा इसका उपयोग सुनिश्चित करेंगे।
   - ऑनलाईन पोर्टल पर विभिन्न आवेदन पत्रों को अपलोड़ करने में आवेदको को यदि कठिनाई आ रही हो तो ई–मित्र, नगर मित्र तथा अन्य व्यक्ति की मदद बाबत स्थिति स्पष्ट करेंगें।
   - नागरिको की सहायतार्थ प्रत्येक नगर निकाय में हैल्प–डेस्क की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
   - प्रत्येक शहर के लिये "नगर मित्र" नियुक्त किये गये है जो नागरिको को तयशुदा फीस लेकर तकनीकी सहायता प्रदान करेंगें। नगर मित्रो द्वारा कार्य प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
   - अधिकारी उनको आवंटित क्षेत्र की नगर निकायों द्वारा लगाये जाने वाले शिविरों का सप्ताह में 05 दिन निरीक्षण करेगें तथा सुनिश्चित करेंगे कि सभी कार्य तत्परता से किये जायें। शिविरों में उपस्थित नागरिकों से भी प्रतिक्रिया (feedback) प्राप्त करेंगे। यदि कार्य में कोई कठिनाई/बाधा महसूस हो रही हो तो उनको उचित मार्गदर्शन देंगें तथा राज्य स्तरीय अधिकारियों से भी मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे।
   - यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि नगर निकाय द्वारा शिविर का स्थानीय स्तर पर प्रचार/प्रसार किया जा रहा है तथा शिविरों में कोविड–19 के मद्देनजर आवश्यक प्रबंधन किये जा रहे है।
   - आम नागरिको की मदद के लिये राज्य स्तर पर एक हेल्प–डेस्क भी स्थापित किया गया है, जिसकी नागरिकों द्वारा जानकारी प्राप्त करने हेतु उपयोग में लिया जा सकता है। (टोल फ्री–नम्बर 1800–180–6127)
   - प्रगति रिपोर्ट भेजने के लिये एक प्रोफार्मा तैयार किया गया है, जिसे अधिकारी द्वारा प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार सांय तक अपनी रिपोर्ट के साथ भेजेंगे।
   - संभाग में संबंधित उप निदेशक स्थानीय निकाय/वरिष्ठ नगर नियोजक व राजस्व अधिकारियों से भी लगातार सम्पर्क बनाये रखते हुए उनका निकाय के लिये सहयोग सुनिश्चित करेंगे।

2. प्रेक्षक (Observer) का यह दायित्व होगा कि ये अभियान के दौरान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यवाही का समयबद्ध व चरणबद्ध तरीके से सम्पादित करवाने में अपना पूर्ण सहयोग देते हुए समन्वय का कार्य करेंगे। राज्य सरकार द्वारा अभियान के दौरान समय–समय पर जारी आदेश, परिपत्रों, निर्देशों से अद्यतन रहेंगे तथा पालना सुनिश्चित करेंगें।

इनके द्वारा समय–समय पर की गई कार्यवाही से राज्य सरकार के सलाहकार प्रकोष्ठ, जो कि नगर नियोजन भवन में स्थापित किया गया है, को अवगत करायेंगे।

आज्ञा से,

(नवनीत कुमार)
संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, सलाहकार, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
6. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
8. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
9. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त, राजस्थान।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
11. संबंधित कार्मिक/अधिकारी।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय